ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-11-17,YEAR-2013

# ''अपराध नियंत्रण में सामाजिक सहभागिता''
## बाल अपराध के विशेष संदर्भ में
## आर्थिक–सामाजिक एवं मनोविश्लेषणात्मक शोध–समीक्षा

❑ डॉ0 अतुल कुमार यादव

*आधुनिक युग में विकसित होने वाले सामाजिक समस्याओं में बाल–अपराध एक प्रमुख तथा मौलिक समस्या है, जो एक साथ भौमिक समस्या होने के साथ–साथ प्रत्येक समाज के उद्‌भव काल से ही अस्तित्व में रही आयी है। बाल–अपराध वस्तुतः अपराध की प्राथमिक के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह समाज रूपी भारीर के लिए कटक के समान है, जिसका यदि उपचार न किया जा सकता है। यह समाज रूपी भारीर को विशाक्त कर सकती है। बाल अपराध का ि ाकार, अपराध के अन्ध ाकार युक्त भवन में प्रवे ा करने के लिए मुख्य द्वारा होता है। राश्ट्र की उन्नति, स्वतंत्रता की रक्षा और राश्ट्र के अन्य प्रगति ील कार्यों का भार इन बालकों पर ही होता है, तो आगे चलकर दे ा के सुयोग्य नागरिक बनते है।*

बाल अपराध की समस्या बालकों, अभिभावकों और समाज के लिए चिन्ता का विशय है। स्वाभाविक ही है कि जिस समाज रूपी पादप की जड़े ही बाल अपराध रूपी संक्रमण में ग्रसित हो, उसका तना, कपोले तथा बल्लरियों सुदृढ़, आकर्शक और कोमल कैसे हो सकती है।''[1] इस सम्बन्ध में समस्या का निराकरण खोजने वाले विद्वान यह स्वीकार करते है, कि यह केवल प्र ाासनिक, भौक्षणिक या वैयक्तिक समस्या ही नहीं है, अपितु एक जटिल सम्प्रत्यय के रूप में भी निरूपित की जा सकती है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक पक्षों को धैर्य और तल्लीनता के साथ कूरेदना होगा। छोटे अंकूर या लघु आयामी बीज कालान्तर में दीर्घ कायिक पादप का रूप धारणा करते है। अतः बाल–अपराध वस्तुतः एक लघु आयामी बीज है, जिसमें दीर्घ व बहुआयामी अपराधी की अनन्त सम्भानाएँ समाविश्ट रहती है। यदि इस बीज के अंकुरण के लिए और वांछित प्ररिस्थियाँ उपलब्ध करा दी जाये, तो वह दिन–दूना रात चौगुना बढ़कर वट–वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। जद्यन्य अपराधी अपने प्रारम्भिक जीवन में प्रायः बाल अपराधी रहे होते है, यह एक स्वीकृति तथ्य है। समाज ाास्त्री बहुमत से स्वीकार करते है कि बाल अपराध, अपराध की प्रथम सीढ़ी होती है। बाल अपराधों की वृद्धि भावी अपराधों की भयंकरता का स्पश्ट संकेत है। संसार में प्रत्येक समाज में पिछले द ाकों में बाल अपराधों की संख्या में भयोत्पादक वृद्धि हो रही है। अमेरिका जैसे विकसित व प्रगति के अग्रदूत दे ा में ही बाल अपराधों में 70 प्रति ात की वृद्धि हुई है।

संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि बाल–अपराध वयस्क अपराधों से कही अधिक ज्वलन्त और सामयिक समस्या है। बाल–अपराध को यदि उसके प्रस्फुटन काल में ही उपचारित नहीं किया गया तो कालान्तर में यह समाज और राश्ट्र दोनों के लिए एक प्रबल चुनौती के रूप में मुखरित होगा। यहाँ डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा ने स्थिति को स्पश्ट करते हुए लिखा है कि 'जब तक समाज वयस्कों और बालकों के लिए भिन्न आद ा रखेगा तब तक यह बुराई दूर नहीं होगी। बाल–अपराध इसलिए बढ़ गये है कि तथाकथित बड़े लोग अपने बच्चों के गले में अपनी सम्पन्नता और सत्ता का पट्‌टा बांधकर खुला छोड़ देते है। यह स्थिति बाल–अपराध वृद्धि में उत्प्रेरक का कार्य करती है। एक बार समाज इस दोहरी

विभागाध्यक्ष, समाज ाास्त्र ए.के. (पी.के.) कालेज ि ाकोहाबाद (उ.प्र.) भारत

मानसिकता और कृत्रिमता को त्याग देता है और दोनों के लिए एक समान आचार संहिता अपनाता है तो बाल–अपराध बहुत कम हो जायेगा।'[2]

डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा के कथन की मीमांसा करने से जहाँ एक ओर बाल अपराध की भयाभयता प्रकट होती है, वहीं इसके निरूपित कारण भी भाोधपरक, महत्वपूर्ण और स्पश्टरूप से दृश्टिगोचर होते हैं। यहाँ डॉ0 वर्मा की दृश्टि बालक के अधिगम के स्तर को गहराई के साथ देखती है और उसके मानवीय पर्यावरण, पारिवारिक व सामाजिक परिवे ा के नैतिक–सामाजिक पक्षों की कृत्रिमता और मूल्य विहीनता को भी समाविश्ट करती चलती है। यहाँ 'फ्राइड' के द्वारा प्रणीति 'ओडोपस कम्पलैक्स' की क्रिया ाीलता भी अनुपयुक्त होती है। बालक अपने प्रारम्भिक जीवन में अपने माँ–बाप को अपना आद र्ा मानता है और अपरिपक्त होने के कारण उन्हीं के व्यवहार को आत्मघात करते हुए अपने व्यवहार–प्रतिमानों को स्थिर करता है। इसलिए बाल–अपराध का दोश अप्रत्यक्ष रूप से बालक पर न होकर बालक के मानवीय परिवे ा पर आरोपित होना चाहिए। इस सम्बन्ध में अपने भाोध परक निश्कर्श डॉ0 वर्मा ने इसी ग्रन्थ के एक अन्य स्थल पर स्वीकार किया है कि ''बालक को अपराधी और समाज विरोधी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी कमियों के लिए उसे लाँछित नहीं कर सकते।''[3] इस कथन के वि लेशण से बाल–अपराध के नियंत्रण के सम्बन्ध में उन स्थलों और सम्भावनाओं का ज्ञान होता है, जहाँ जन सहयोग वाँछित है।

'अलवर्ट कोहेन' ने लिखा है कि ''लगभग सभी बालक अपने विकास के काल में बुराई और हिंसात्मक कार्य करते हैं। अपने बड़ों की तरह नियमों का पालन करने में अधिकां ा बालकों को कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें उस समय भले–बुरे का अर्थ ठीक से पता नहीं होता।''[4] 'कोहेन' के इन विचारों का वि लेशण करने से यह स्प ट होता है कि अपने बाल्यकाल में बालक अच्छे–बुरे का विवेक नहीं रखते और उनका तत्सम्यक व्यवहार प्रतिमानों से प्रभावित न होकर जन्मजात प्रवृत्तियों से संचालित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ का रेचन करने के लिए माता–पिता, परिवारीजन, पड़ोस और समुदाय के लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि बालकों को और समुदाय के लोगों को नैतिक–अनैतिक, अच्छे–बुर, सार्थक–निरर्थक एवं य ा–अपय ा की बातों का ज्ञान औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा कराया जाय। इस स्थान पर की जाने वाली चूक न केवल उस बालक को अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए घातक और विप्लवकारी होगी। वास्तक में बालक अपने इस काल में असामंजस्य व कुसमायोजन का ि ाकार होती है। 'रैक्लैस' इस असामंजस्य अवस्था को ही बाल अपराध का महत्वपूर्ण कारक मानता है। वह स्वीकार करता है कि असामंजस्य बाल–अपराध में महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए बालक को अपराधी ठहराना उचित नहीं हे। इन भाब्दों की मीमां ाा से यह स्पश्ट होता है कि बालक के समक्ष उपस्थिति असामंजस्य की स्थिति बालक के द्वारा सृजित नहीं होती है, अपितु उसका सृजनकर्त्ता को स्वयं समाज और समुदाय होता है।

इस सम्बन्ध में डॉ0 ओम प्रका ा वर्मा ने युक्त संगत तथ्य उद्घाटित किया है–''बालक को उसके विकास की पूरी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए। उसकों ऐसी परिस्थितियाँ और वातावरण सुलभ होना चाहिए, जहां वह मानसिक, नैतिक और भाारीरिक दृश्टि से सन्तुलित विकास कर सकें। यदि समाज बालक को इन सुविधाओं से वंचित रखता है तथा माता–पिता बालक के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किसी भी कारण से सही, निभाने में असमर्थ रहते हैं तो फिर बालक को अपराधी और समाज विरोधी कहने का औचित्य ही क्या है।''[5]

अतः यही बाल अपराध के नियंत्रण में जन सहयोग की भूमिका स्प ट होती है। यह भूमिका भातत्, सजग, जागरूक एवं सा वत है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के प्रति अपने निजी बच्चों की तरह दृश्टिपात करना होगा और यह मानना होगा कि बच्चे किसी व्यक्ति की नहीं अपितु राश्ट्र और समाज की धरोहर होते है। इनमें अच्छे, सकारात्मक एवं सार्थक मूल्यों का विकास करके वे किसी व्यक्ति पर नहीं अपितु समाज को अनुच्छीन करते है, बच्चे

को सर्वागीण सुरक्षा प्रदान करके वे उसे ही नहीं अपितु अपने के से कालान्तर में होने वाली असुरक्षा में बचा लेते है।

अपराध नियंत्रण के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए 'क्राउट मौरिस' का विचार है कि ''प्रजातांत्रिक समाज में सुरक्षा अपराध निरोध का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।''[6] इन विचारों के वि लेशण से यह स्पश्ट होता है कि बालक को यदि सामाजिक सुरक्षा का अनुभव करा दिया जाय तो नि चत ही वह अपराध प्रवण नहीं होगा। यहाँ यह प्र न उठना स्वाभाविक है कि बालक के लिए क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त है या कुछ अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करना अभीश्ट है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर देने पर बालक को अपराध के विशाक्त जीवाणुओं से पृथक रखा जा सकता है। ये सुरक्षायें बालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सुरक्षाएं भी स्वंमेय प्रदान कर देती है। यहाँ पारिवारिक और आर्थिक सुरक्षा को बाल अपराध के उपचार के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

दरिद्रता अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। इस सम्बन्ध में इटली के वैज्ञानिक 'फोर्ना सारिडिवर्सी' ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि उसके अध्ययन के निद र्न का 85 से 90 प्रति ात भाग दरिद्रता से ग्रसित था। इसलिए दरिद्रता को अपराध की जननी कहा जा सकता है। उच्च अपराध भाास्त्री 'बोन्नार' भी यह मानता है कि दरिद्रता अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह संघर्श और अर्न्तद्वन्द्व पैदा करती है तथा मद्यपान की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस अध्ययनों से यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि दरिद्रता बाल अपराधियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ ही साथ वयस्क अपराध को भी बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में यदि बालक की दरिद्रता के चंगुल से निकालकर उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाय तो बाल–अपराध और वयस्क–अपराध दोनों में कमी आयेगी। यहाँ 'क्राउट का सुरक्षा के सम्बन्ध में निकाला गया निश्कर्श और अधिक रूप से पुश्ट हो जाता है।

क्षुधा और भुखमरी स्वयं में विघटन की स्थिति होती है। जब कोई व्यक्ति भूख और प्यास से तृशित होकर भरने की स्थिति में होता है तो वह यह येन–केन–प्रकारेण जीवन रक्षा के लिए चोरी करना है। यह अपराध करना उसकी वेबसी और अपरिहार्यता होती है, क्योंकि मनु य को अपने जीवन से अधिक प्रिय और कोई नहीं होता है। डॉ0 हैकरबाल ने लिखा है कि "Hunger and starvation fempet them to treat the easy devious path of Crime."

डॉ0 हैकरबाल के कथन का वि लेशण करने से यह स्पश्ट हो जाता है कि भूखे और तृशित बालक ही क्या वयस्क के सामने भी अपराध के रास्ते पर चलते से सरल इस परिस्थिति में और कोई मार्ग नहीं होता। यद्यपि यह मार्ग अपराध की ओर ले जाने वाला होता है। यहाँ यह निश्कर्श निकालना कठिन नहीं है कि अपराध के इस कुटिल मार्ग पर ले जाने का श्रेय समाज और समुदाय को ही जाता है। पूँजी के संसाधनों का वितरण तथा कार्य द ाओं में उच्चावचन ऐसे प्रबल कारण हैं जो आर्थिक संकट उत्पन्न करते है और समाज का एक बड़ा भाग रहन–सहन की न्यूनतम आव यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। यहाँ समाज और सरकार का यह सम्मिलित दायित्व है कि बालकों को एक वि ाश्ट वर्ग मानते हुए उन्हें कम से कम आव यक आव यकताओं को उपलब्ध कराने हेतु योजनाबद्ध प्रयास किये जाये।

बेकारी आर्थिक अभावों की जननी कही जा सकती है। बेकारी की स्थिति में बालक उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आव यक होती है। ऐसी स्थिति में गृह प्रमुख की आय ही बच्चों को संसाधन जुटाने का एक मात्र साधन होता है। बेकारी का प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर नहीं अपितु उस व्यक्ति का सम्पूर्ण परिवार मानसिक संघर्श से ग्रसित हो जाता है और सम्वेगात्मक असन्तुलन का ि ाकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस परिवार के बालक उच्छृंखल, कदाचारी और चरित्रहीन हो जाते है। यह अपराध

प्रयणता को बढ़ाने वाले प्रबल कारक है। इस तथ्य की पुश्टि 'वर्ट' के अध्ययन से हो जाती है। 'सिरिल वर्ट' ने लिखा है कि उसके अध्ययन में समाविश्ट अपराधियों के निद र्ा में 48 प्रति ात व्यक्ति मानसिक अस्थिरता के मिले जबकि साधारण लोगों में केवल 11.8 प्रति ात ही लोग मिले। 'हीली और ब्रोनर' ने भी लिखा है कि उन्हें अपने परीक्षण में 91 प्रति ात अपराधी ऐसे मिले जो किसी न किसी कारण से मानसिक संघर्श से ग्रसित थे।

अतः यहाँ यह माना जा सकता है कि अपराधियों का मानसिक संघर्श व अस्थिरता जैवकीय कारणों से कम अपितु सामाजिक और आर्थिक कारणों से अधिक रही है। अतः यहाँ समाज, समुदाय और सरकार का यह दायित्व बनता है कि सामाजिक समता के लिए आर्थिक संसाधनों का समान वितरण करने के उपक्रम किये जायें तॉकि बल–मन संवेगात्मक असन्तुलन और मानसिक संघर्श का ि ाकार न हो सकें। यहाँ इस कार्य के सम्पादन हेतु एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार किया जाना अभीश्ठ होगा।

इस सम्बन्ध में भाोधार्थी ने भी एक लघु– ाोध का आयोजन किया है। इसमें 100 बाल अपराधियों के आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा भौक्षणिक पक्षों के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है। इसके निद र्ा के रूप में आगरा मण्डल (वर्तमान में अलीगढ़ मण्डल) के एटा जिला में अवस्थित बाल–कारागार एवं बाल–सुधारगृह के बाल–अपराधियों का अध्ययन किया गया है। आर्थिक पक्ष के परिप्रेक्ष में निम्नलिखित आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें 52.6 प्रति ात बाल अपराधी मध्य वर्गीय आय के हैं तथा भोश 22 प्रति ात सूचनादाता उच्च आय वर्ग के परिवारों से सम्बन्धित है। इस अध्ययन से प्राप्त आकड़ों से यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि बाल अपराधियों की सर्वाधिक संख्या उन परिवारों से है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा जिनकी पारिवारिक परिस्थिति व भौक्षिक परिवे ा अच्छा नहीं है। मध्य आय वर्ग के परिवारों से बाल अपराधियों की संख्या कम है, जबकि लगभग 22 प्रति ात सूचनादाता उच्च आर्थिक स्थिति के परिवारों से सम्बन्धित है। यहाँ इन बाल अपराधियों में आर्थिक कारक प्रकट रूप से सक्रिय नहीं है, किन्तु इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छा होना और इनके द्वारा उन उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना दो अलग–अलग बातें है। इन 22 प्रति ात बाल अपराधियों में से 65 प्रति ात बाल–अपराधी ऐसे परिवारों से हैं जहाँ उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रही। अतः निश्कर्श रूप से यह कहा जा सकता है कि परिवार के स्तर के अनुसार यदि बालकों को सुविध ाायें प्रदान नहीं की जाय तो वे बाल अपराधी बन जाते हैं। यहाँ 'प्रोफेसर सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार' के कथन से यह पुश्ट हो जाता है कि–''इसके बजाय कि बालक चोरी से किसी चीज को ले और वह यह समझ ले कि चोरी से ही वह सब कुछ पा सकता है, इसके बिना नहीं तो ऐसी स्थिति में माता–पिता को चाहिये कि स्वयं उसे वह चीज दें और उसमें यह भावना उत्पन्न कर दें कि पूँछ कर चीज लेने में किसी भी प्रकार की आ ांका नहीं होती है।'' आर्थिक अभाव जहाँ एक ओर बाल–अपराध को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी और धनाधिक्य की स्थिति भी अनियोजित व्यय करने की स्थिति बालक को अपराधी बना देती है। यहाँ दोनों ही स्थिति बाल–अपराध को पनपने के लिए आद र्ा वातावरण उत्पन्न करती है।

बाल–अपराध के सन्दर्भ में पारिवारिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वास्तव में परिवार की भूमि में ही बालक रूपी पादप पल्लवित और पुश्पित होते है। परिवार का प्रभाव बालकों पर बहुत अधिक प्रबल और स ाक्त होता है। परिवार बालकों को स्वस्थ नागरिक बना सकता है और एक जघन्य अपराधी भी। इस सम्बन्ध में भग्न परिवार बाल–अपराध के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। 'जोनसन' ने अपने अध्ययन में 52 प्रतिशत उदण्ड बच्चों के भग्न परिवार का पाया। इसी प्रकार 'हीली और बोलट' ने सिकागो और वोस्टन के 4000 अपराध बालकों में से 2000 बालकों को बर्वाद घरों से सम्बन्धित पाया। इन अध्ययनों से यह स्पश्ट होता है कि यहाँ बर्वाद घर और आर्थिक दुरावस्था दोनों की युगलित होकर क्रिया ाील है। अतः इस सन्दर्भ में आर्थिक और

पारिवारिक कारणों के प्रथक रख पाना सरल नहीं है।

भाोधकर्ता के स्वयं के निश्कशों में बर्वाद परिवार के 52 प्रति ात बालक समाविश्ट है। यद्यपि यह प्रति ात 'वर्ट' के प्रति ात से कम है, किन्तु यहाँ परिस्थिति और दे .ा काल के विभेद के कारण इस अन्तर को समझा जा सकता है। इस सम्बन्ध में 'गल्यूक्स' का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन में 60.4 प्रति ात बाल अपराधी ऐसे घरों से सम्बन्धित थे, जो प्रथक्करण, तलाक और मृत्यु आदि के कारण टूट चुके थे।

भाोधकर्ता के स्वयं के आकड़े इस सन्दर्भ में मात्र 38.2 प्रति ात हैं जो गल्यूक्स महोदय के प्रति ात से काफी कम है, किन्तु यदि भारतीय परिवे ा में देखा तो यह माना जा सकता है कि भारत एक धर्म परायण दे ा है जहाँ विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में अवस्थित है। यहाँ तलाक, प्रथक्करण आदि कारणों से परिवारों का टूटना बहुत कम देखने में आता है। इन आंकड़ों से एक सन्दे ा प्राप्त होता है कि बाल–अपराध के लिए परिवारों की टूटने समूचे समाज के लिए घातक है। इस दि ाा में परिवारों की भग्नता को रोकने के लिए सामाजिक और सरकारी प्रयास किये जाने अभीश्ठ है। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो यह सुनि ि चत कर लेना चाहिए कि परिवार के टूटने का बालक के मन, मस्तिश्क, संवेग तथा सुरक्षा की भावना पर किसी प्रकार की कोई ठेस न पहुंचे।

अपराधी या अनैतिक परिवार बाल–अपराध के महत्वपूर्ण कारण होते है। बालक के व्यवहारिक विचलन के पीछे ये अपराधी परिवार सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते है। इस सम्बन्ध में गल्यूक्स के अनुसार इनके अध्ययन 84.8 प्रति ात बाल अपराधी ऐसे थे, जिनके रिश्तेदार अपराधी थे तथा 24.8 प्रति ात सूचनादाताओं के माता–पिता अपराधी थे। इस सम्बन्ध में 'मैरिल तथा इलियट' ने स्लेटन पार्ट की अपराधी लड़कियों में 67 प्रति ात को अनैतिक परिवारों से आयी हुई पाया।[8]

सामाजीकरण के द्वारा परिवार बालक के अपराधी आचरण को नियंत्रित करने में अद्वितीय योगदान कर सकता है। इस तथ्य को स्पश्ट करते हुए 'एली नोर गल्यूक्स तथा सैल्डर' ने उचित कहा है कि ''कोई बालक समाज विरोधी व्यवहार के प्रति उन्मेशित होगा या नहीं पारिवारिक वातावरण इसका निर्णय करने वाली सर्वाधिक भाक्तियों में से एक है।'' इस प्रकार बाल अपराध के नियंत्रण के लिए प्रारम्भिक रूप से अपराधी परिवारों से बालक को दूर रखना समाज और समुदाय का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सन्दर्भ में पारिवारिक कारकों के अन्तर्गत भाोधकर्ता की दृश्टि अन्य कारकों पर भी केन्द्रित रही है। माता–पिता द्वारा उपेक्षित बच्चे बाल–अपराधी बनते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे प्रेम–पिपासु होते हैं और अपनी इस पिपासा को किसी न किसी रूप में संतृप्त करना चाहते हैं। ऐसे बालक अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों में बच्चों को उच्च स्तरीय संरक्षण तथा अतिरिक्त लाड़–प्यार मिलता है, वहा बच्चे स्वार्थी, अहम् भावना से ग्रसित और हठधर्मी बन जाते है। अतः माता–पिता का व्यवहार बाल–अपराध के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।

भाोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह पाया कि लगभग 61 प्रति ात बाल अपराधी अपराध की प्रारम्भिक ि ाखा अपने माँ–बाप से अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बाल–अपराध पर नियंत्रण करने के लिए माता–पिता, अन्य परिवारीजन, रि तेदार, पड़ोस और समाज को बालक के साथ सुलझा हुआ व्यवहार करते हुए, स्वयं को आपराधिक प्रवृत्तियों से अलग रखकर बालक की सन्तुलित और नियंत्रित देख–भाल करनी होगी। इसके साथ बालक की आव यक आव यकताओं को पूरा करने का सामवेत प्रयास करना होगा। बालक की मनो भावनाओं पर आघात करना उसे अपराध की मोड़ देना है। अतः पारिवारिक परिवे ा में सम्वेगात्मक सुरक्षा प्रदान किए बिना बाल–अपराध पर नियंत्रण पाना दुश्कर कार्य हैं।

ि ाक्षा व्यवहार परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। बालक ि ाक्षा के द्वारा सामाजीकरण करता है। आधुनिक, औद्योगिक और उपभोक्तावादी समाज बालक के आचरण की दि ाा में औपचारिक

ि ाक्षा द्वारा विद्यालय निर्धारित करता है। ि ाक्षा के साथ बालक के व्यवहार में संस्कार भीलता, व्यक्तित्व में उदारता, स्वभाव में नम्रता, आचरण में सुचिता तथा क्रिया–कलापों में सामाजिकता का गुण स्वतः ही समाविश्ट हो जाता है। विद्यालय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सार्थक मूल्यों की ि ाक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन यदि वि लेशणात्मक दृश्टि से देखा जाय तो आधुनिक ि ाक्षा में अपराध प्रवृत्ति को वृद्धिमान करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। विद्यालय राजनीति के अखाड़े बन गये है और वि वविद्यालय भ्रश्टाचार की प्रयोग ाला। विद्यालयी ि ाक्षा को कोसते हुए एक विद्वान ि ाक्षा भाास्त्री 'इबाइलिच' लिखने को मजबूर हो जाता है कि 'विद्यालय मर चुका है।''

इस तथ्य की पुश्टि करते हुए डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा ने कहा है कि–''आधुनिक ि ाक्षा पद्धति ने विद्यालय को संस्थात्मक प्रवृत्ति को नश्ट कर दिया है, क्योंकि एक ही कक्षा को अनेक ि ाक्षक पढ़ाते है और उनमें से किसी का भी व्यक्तिगत सम्पर्क छात्रों से विकसित नहीं होता है। ि ाक्षक अर्थकहीन, फलहीन, और सारहीन ि ाक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे है।'' इस प्रकार वर्तमान विद्यालय एक अनोखे प्रकार का सम्पर्क और संगति उपलब्ध कराते हैं तो बालक को अपराध की ओर उन्मुख कराती है। इस सम्बन्ध में 'प्रो0 वर्ट तथा भाॉ और मेक' ने अपने अध्ययनों में संगति को बालक की अपराधी वृत्ति का महत्वपूर्ण कारक माना है। ' ाॉ तथा मैक' के अनुसार 88.2 प्रति ात बाल अपराधी अन्य बालकों के साथ मिलकर अपराध करते हैं। 'गल्यूक्स' ने 500 अपराधी बालकों का अध्ययन करके बताया कि 95 प्रति ात बालक गुण्डों, भाराबियों, जुआरियों और व्यभिचारियों की संगति में रह रहे थे। इस प्रकार विद्यालयों में बालकों को अपराधोन्मुखी वातावरण उपलब्ध होता है और सम्पर्क–संगति के प्रभाव में यह अपराध प्रवण हो जाता है। इस प्रकार विद्यालयों को अपने वातावरण में नैतिकता, सुचिता, नियमितता, सामाजिकता के प्रतिमानों को फिर से स्थापित करने की दि ाा में सार्थक प्रयास करना चाहिए, तॉकि वे बालक को मन और मस्तिष्क को इन मूल्यों के प्रति झुका सकें और समाज को स्वस्थ, सुयोग्य नागरिक दे सके। विद्यालयी वातावरण का सुधार किए बिना बाल–अपराध तथा अन्य अपराधों से मुक्ति प्रदान करना सम्भव नहीं है।

भाोधकर्ता ने बाल–अपराध नियंत्रण हेतु कुछ अध्यापकों, प्रोफेसर, मनीशियों, समाज सेवियों, बाल–अपराध नियंत्रण के कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों से गहन साक्षात्कार आयोजित कर अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रित किए है, जा सारगर्भित रूप से प्रस्तुत हैं :–

1. बालकों को बाल–अपराध से सम्प्रक्त रखने के लिए उन्हें अ लील साहित्य, गन्दी तथा नग्न तस्वीरों तथा चित्रों पर रोक लगा देना चाहिए।
2. विद्यालयों के निकट भाराबघर, नांचघर, सिनेमाघर और वै यालयों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। माता–पिता अभिपाल्यों को सामान्य अनु ाासन और संरक्षण में रखकर पालन–पोशण करना चाहिए।
3. विद्यालयों के चरित्र निमार्ण सम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत किए जाने चाहिए।
4. बच्चों के लिए बालचर (स्काउट), स्वस्थ मनोरंजन तथा उपयोगी और सार्थक साहित्य की व्यवस्था ि ाक्षण संस्थानों में अपेक्षित है।
5. परिवार के बड़े सदस्यों का व्यवहार आद ार्ा और अनुकरणीय होना चाहिए तॉकि बालक उनसे अनुकरण के द्वारा अच्छी–अच्छी बातें सीख सकें। यहाँ यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को न तो अत्यधिक लाड़–प्यार किया जाय और न अधिक तिरस्कृत किया जाय।
6. बालक के सामाजीकरण में उसकी मित्र–मण्डली से जिनमें अच्छे संस्कार और मूल्य न हों, बच्चों को अत्यन्त सुलझे हुए तरीके से अलग कर देना चाहिए।
7. बालक की भाारीरिक अवस्था भी उसकी मानसिक दुर्बलता का कारण हो जाती है।

अतः उनके पोि टक तथा संतुलित भोजन, कपड़ा और उचित आवास उपलब्ध कराना चाहिए।

8. व्यस्तता तथा कार्य अपराधों की भात्रु होती है, अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे कार्यों में व्यस्त रख जाय जो उत्पादक और सार्थक हो, इसके लिए उसे कुछ बाल–उद्योगों की ओर मोड़ना चाहिए।

9. गन्दी बस्तियाँ बालक में अनके अपराधों को जन्म देती है। अतः समाज तथा सरकार को ऐसी गन्दी बस्तियाँ का उन्मूलन करा देना चाहिए।

10. ि ाक्षा संस्थाएँ बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए निरूपित की जाती है। यह बालकों की सामाजिक नर्सरी होती है। इस सम्बन्ध में डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा ने भी लिखा है कि–''जब तक उनके सही ि ाक्षण पर उचित बल और ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उन्हें आधुनिक सभ्यता के कुत्सित प्रभावों के ि ाकंजे से नहीं छुड़ाया जा सकता। अतः ि ाक्षा संस्थाओं में सामाजिक आद ाों और मूल्यों का विकास करने के लिए सुधार किये जाने चाहिए।

11. नारी ि ाक्षा स्वयं में बाल–अपराध नियंत्रण में एक अभिकरण है। बच्चे के लिए उसकी माँ प्रथम ि ाक्षिका होती है। अतः नारी ि ाक्षा परा बल दिया जाना चाहिए।

12. बालक की अपराधी प्रवृत्तियों के सुधार और उचपार के लिए मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ का प्रयोग किया जाना चाहिए। दण्ड के आधार पर बाल–अपराध का निरोध नहीं किया जा सकता। इस हेतु सुधार गृहों का नये ढंग से विकास किया जाना चाहिये।

13. दूरद ान पर संचालित अनेक चैनल अ लीलता को पेट में रखकर खुलेआम समाज को परोस रहे हैं। इससे बाल–मन कुत्सित और विकृति होता है। सरकार को इस प्रकार के चैनल प्रतिबन्धित कर देने चाहिए और ऐसे प्रसारण को प्रोत्साहित करना चाहिए जो राश्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभायें।

इस प्रकार बालक को बाल अपराधों से बचाने के लिए समाज, समुदाय तथा राश्ट्र को कठोर उपागमों के स्थान पर मृदुल उपागमों का मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रयोग कराना श्रेयकर होगा। सम्पूर्ण रूप से बाल–अपराध का उन्मूलन करने के लिए बाल–अपराध के कारण तत्वों को निरसित करना आव यक है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. जे0जे0काने : सो ाल प्रोब्लम, 141।
2. डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा : पैथोलाजी ऑफ क्राइम एण्ड डेलिन क्वेन्सी, पृश्ठ, 280।
3. डॉ0 परिपूर्णानन्द वर्मा : पैथोलाजी ऑफ क्राइम एण्ड डेलिन क्वेन्सी, पृश्ठ,29।
4. डॉ0 ओ0पी0 वर्मा : क्रिमिनोलॉजी, पृश्ठ, 193।
5. क्रउट मोरिस : इन्ट्रोडक ान टू सोसियल साइन्स।
7. B.S. Haikarwal : Economic and Social aspect of crime in India. Page 64.
8. Merril and Elliott : Corectional Educational and Delinquent Girl, Page 26-28

**भोध–पत्रिकाएं, समाचार–पत्र**


*****